फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

किशनदास बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा दावा

मुकदमा नम्बर 10 सन् 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर वादपत्र पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 03.02.2021 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
03/02/2021 वकील वादी उप०। प्रतिवादी बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 24/02/2021 को पेश हो।	
24/02/2021 पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी हाजिर आये। वादपत्र के समर्थन में वादी स्वयं का शपथ पत्र व दो गवाहान के शपथ पत्र पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये गये। बहस वकील वादी सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 10/03/21 को पेश हो।	किसनदास नारायण सिंह तंवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kuma
Date: 2021.03.30 16:17:22 IST
Reason: SelfAttested

10/03/2021

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादी का सही नाम किशनदास चेला देवकीदास है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम कृष्णादास चेला देवकीदास दर्ज कर दिया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें वादी का सही नाम है। वाद पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में बतौर साक्ष्य वादी किशनदास का एवं बतौर गवाह नरपत सिंह तंवर व दौलत सिंह तंवर का लिखित एवं तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कृष्णादास चेला देवकीदास अंकित है। वादी का कथन है कि वादी का सही नाम किशनदास चेला देवकीदास है की पुष्टि राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जिनमें वादी का सही नाम है से होती है तथा इन तथ्यों की पुष्टि बतौर साक्ष्य वादी प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी होती हैं। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि भूमि ख. नं. 421, 425 से 444, 446 से 457 कुल किता 33 कुल रकबा 5.26 है0 तन ग्राम भीतरली गांवडी पटवार हल्का गावंडी तह. नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड में कृष्णादास चेला देवकीदास के स्थान पर किशनदास देवकीदास दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे। नियमानुसार डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verifie
Digitally signed by Brejesh
Date: 2021.03.30 16:17:22
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना